भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग ्राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र सतर्कता अनुभाग

सन्दर्भः 8/8/2018/सत/3938

जुलाई 🖅 ,2018

परिपत्र

विषयः संशोधित पेंशन भुगतान आदेश की छायाप्रति जमा करने सम्बन्धी।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के समस्त लाभार्थी, जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् इन्दौर में निवास के साथ ही आरआरकेट के साथ पंजीकृत हो गए हैं, से निवेदन है कि सीएचएसएस प्रोग्राम में जानकारी के अद्यतन हेतु दस्तावेज के प्रमाणस्वरूप 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग् के अनुसार अपने पेंशन भुगतान आदेश की संशोधित छायाप्रति सतर्कता अनुभाग में जमा करवाएँ।

यह जानकारी विशेषतः परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/3/आईआरएण्डडब्ल्यू(भाग–2)/6591 दिनांक 24 मई, 2018 के सन्दर्भ में चाही गई है जिसे आरआरकेट के पैनल अस्पतालों में भर्ती की पात्रता के पुनर्वर्गीकरण हेतु जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

उपर्युक्त जानकारी इस कार्यालय में दिनांक 31-07-2018 तक या उससे पूर्व जमा कर देवें जिससे सीएचएसएस प्रोग्राम में उनकी पात्रता सम्बन्धी जानकारी अद्यतन की जा सके।

(श्रीकला आर.)

🥐 प्रशासनिक अधिकारी— III

आरआरकेट की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

Government of India Department of Atomic Energy Raja Ramanna Centre for Advanced Technology Vigilance Section

PO: RRCAT Indore-452013

Ref: 8/8/2018/Vig/3938

July 17, 2018

Circular

Subject: Submission of revised Pension Payment Order (PPO) copy reg.

All CHSS beneficiaries who have settled at Indore after retirement and got registered with RRCAT are requested to submit documentary proof of their revised pay order with reference to 7th Central Pay Commission to update their status in the CHSS programme. This information is specially required in connection with the DAE's Office Memorandum No. 7/3/2017/IR&W(Vol.II)/6591 dated 24th May, 2018 (copy enclosed) issued for entitlement of the accommodation in empanelled hospitals of RRCAT.

The above said information may please be furnished on or before 31-07-2018 to enable this Office to update accordingly their entitlement in the CHSS programme.

(Sreekala R.)
Administrative Officer-III

For uploading on RRCAT website



(營 022-22862703) ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग

अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, म्बई/Mumbai - 400001

IR&W SECTION

No. 7/3/2017/IR&W(Vol.II) /6591

May 24 2018

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सीएचएसएस के तहत हॉस्पिटल में भर्ती की

पात्रता का पुनः वर्गीकरण

: Re-classification of entitlement of hospital accommodation Sub

under CHSS in respect of retired employees

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले मैं सीएचएसएस के तहत हॉस्पिटल में भर्ती की पात्रता के पुनः वर्गीकरण से संबंधित मामला विभाग में काफी समय से विचाराधीन रहा है । इस विभाग में पऊवि के 26 मार्च, 2010 के कार्यालय जापन सं. 7/8/2009/आईआरएण्डडब्ल्यू/39 के द्वारा अधिसूचित पुन:वर्गीकरण के संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।

The issue regarding re-classification of entitlement of hospital accommodation under CHSS in respect of retired employees has been under consideration in the Department for long. Reference have also been received in the Department expressing grievance with respect to the re-classification notified vide DAE OM No.7/8/2009/IR&W/39 dated March 26, 2010.

इस विभाग में उपयुक्त रूप से विचार करने के बाद, यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विभाग में सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पद का वेतन हॉस्पिटल में भर्ती की पात्रता निर्धारित करने के लिए आधार होगा और उनकी पात्रता सीएचएसएस योजना,1998 के पैरा 2.1.10(viii) में उल्लेख किए गए अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख ही रहेगी

After due deliberations in the Department, it is clarified that for the retired employees the pay of the post held by them prior to retirement in the Department will be the basis for determining entitlement for hospitalization and their entitlement will be the same as on the date of retirement, as mentioned in pare 2.1.10 (viii) of CHSS Scheme 1998.

इसे पऊवि के 26 मार्च, 2010 के का.जा. सं..7/8/2009/आई आरएण्डडब्ल्यू/39 और 21 जुलाई, 2017 के का.जा. सं 7/16/2016/ आईआरएण्डडब्ल्यू /9795 में निहित विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु हॉस्पिटल में भर्ती की पात्रता से संबंधित प्रावधानों के अधिक्रमण में जारी किया जाता है ।

This issues in supersession to provisions related to entitlement of hospital accommodation for retired employees of the Department, contained in DAE OM Nos.7/8/2009/IR&W/39 dated March 26, 2010 and 7/16/2016/IR&W/9795 dated July 21, 2017.

इसे सचिव,पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है । This is issued with the approval of Secretary, DAE.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएण्डडब्ल्यू) Director (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities:

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदरबाद Director, AMD
- (9) निदेशक, आरआरकेट, इंदौर Director, RRCAT
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to:

- (1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE
- (4) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS,DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6)प्रशासनिक अधिकारी,बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III,BARC Hospital, BARC
- (7) सचिव, कर्मचारी पक्षा, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE
- (9) सहायक निदेशक (राजभाषा) पऊवि Asst .Director(OL) ,DAE